<u>अज अदालत : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डोली, जिला बून्दी(राज.)</u>

एफ0आर0 संख्या 01/2025
विमलेश बनाम अज्ञात
एफ0आई0आर0 संख्या 99/2024 पुलिस थाना हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>10.03.2026</u>	परिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। बहस के दौरान परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रोटेस्ट पिटीशन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये यह तर्क दिया है कि परिवादिया व उसकी पत्नी का दुर्घटनाग्रस्त होना साक्ष्य से प्रमाणित है। चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर मौजूद है तथा वाहन की पहचान भी परिवादिया की साक्ष्य से हुई है। ऐसी दशा में वाहन चालक के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 में प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया है। सुना गया। एफ0आर0 पत्रावली व प्रोटेस्ट पिटीशन के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह प्रकरण परिवादिया विमलेश के पर्चा बयान दिनांक 01.03.2024 के आधार पर दर्ज हुआ है, जिसमें आहत/परिवादिया विमलेश के द्वारा दिनांक 01.03.2024 को जैरे इलाज सामान्य चिकित्सालय, बूंदी में इस आशय का पर्चा बयान का किया है कि दिनांक 29.02.2024 को वह अपने पति शिवचरण व पुत्री सिमरन उम्र 8 साल के साथ मोटरसाईकिल संख्या आर0जे0 07 6750 पर बैठकर अपने गांव आ रही थी तभी साढ़े छः–सात बजे करीब तालाब गांव मेडिकल कॉलेज के सामने से जाने के दौरान सामने से गलत साइड में अज्ञात वाहन ने गफलत व लापरवाही से मोटरसाईकिल को चलाकर उनके टक्कर मार दी जिससे वे तीनों नीचे गिर गये तथा उसके बांये हाथ व बांये पैर के घुटने व शरीर के कई जगह चोटें आई तथा उसके पति के भी कई जगह चोटे आई तथा यह भी बयान किया है कि आस–पास के लोग इकट्ठे हो गये थे जो उन्हें प्राईवेट जीप में लेकर अस्पताल लाये और टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया है। उक्त पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा नम्बर 99/2024 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा0दं0सं0 में दर्ज कर तफतीश शुरू की गई एवं तफतीश के दौरान घटनास्थल का नक्शा–मौका तैयार किया गया तथा गवाहान के बयानात लिये गये हैं तथा मजरूबान शिवचरण व परिवादिया विमलेश का चोट प्रतिवेदन भी तैयार किया गया है। परिवादिया विमलेश का चोट प्रतिवेदन व परचा बयान दिनांक 01.03.2024 का ही है तथा फर्द डैमेज मोटरसाईकिल से भी वाहन मोटरसाईकिल	

	का दुर्घटनाग्रस्त होना दर्शित हो रहा है। पुलिस तफतीश में वाहन व वाहन चालक का पता नहीं चलना तथा न ही पहचान होना बताते हुये एफ0आर0 अदम पता वाहन व मुलजिम में न्यायालय में पेश की गई, जिस पर परिवादिया को तलब किया गया तथा परिवादिया की ओर से प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करते हुये साक्षी के रूप में स्वयं को ए0डब्ल्यू0 1 विमलेश के रूप में एवं ए0डब्ल्यू0 2 के रूप में आहत शिवचरण एवं चश्मदीद साक्षी के रूप में ए0डब्ल्यू0 3 दुर्गालाल को पेश कर परीक्षित कराया गया है। एफ0आर0 पत्रावली व परिवादिया की साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करते हैं तो परिवादिया विमलेश ने पर्चा बयान जो दिनांक 01.03.2024 को जैरे इलाज अस्पताल बूंदी में दिया है, उसमें अपने पति के साथ मोटरसाईकिल पर जाने के दौरान दुर्घटना होना बताया है, मगर दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन से होना बयान किया है। पर्चा बयान में घटना का समय साढे छः–सात होना बताया है तथा वाहन को पहचान नहीं पाने का कोई कारण भी नही बताया है। इस संबंध में परिवादिया ए0डब्ल्यू0 1 विमलेश न्यायालय में परीक्षित भी हुई है, जिसने अपने सशपथ परीक्षण में शाम के 6–7 बजे की घटना होना बताते हुये सामने से एक मोटरसाईकिल के चालक द्वारा तेजगति से गलत साईड में आकर टक्कर मारना बयान किया है। प्रथमतः घटना के अगले दिन दिये अपने पर्चा बयान में परिवादिया विमलेश ने मोटरसाईकिल से दुर्घटना होने बाबत् कोई भी कथन नहीं करते हुये अज्ञात वाहन से दुर्घटना होना बताया है, जबकि अपने सशपथ परीक्षण में एक मोटरसाईकिल चालक के द्वारा गलत साईड में आकर टक्कर मारना बयान किया है । परिवादिया विमलेश को मोटरसाईकिल के नम्बर कैसे पता चले, इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि घटना के 8–10 दिन बाद पूछताछ करने पर मोटरसाईकिल के नम्बर पता चले, मगर मोटरसाईकिल के नम्बर किसने बताये थे, यह नहीं बताया है तथा यह बयान किया है कि घटना के 8–10 दिन बाद पूछताछ करने पर मुझे सामने वाली मोटरसाईकिल के नम्बर पता चले, मगर वह नम्बर किस व्यक्ति ने बताये, इस बारे में कोई कथन नहीं किया है। इसी संबंध में परिवादिया विमलेश का पति शिवचरण ए0डब्ल्यू0 2 न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने भी अपने सशपथ परीक्षण में मोटरसाईकिल चालक के द्वारा गफलत व लापरवाही से रोंग साईड में सामने आकर टक्कर मारना बताया है तथा मोटरसाईकिल के नम्बर 8–10 दिन बाद पूछताछ करने पर पता चलना बयान किया है, मगर वह नम्बर किसने बताये थे, ऐसे किसी भी व्यक्ति या साक्षी का नाम नहीं बताया है। इस संबंध में घटनास्थल पर मौजूद साक्षीगण की साक्ष्य महत्वपूर्ण

	हो जाती है। इस बारे में घटना की प्रथम सूचना अर्थात परिवादिया विमलेश के परचा बयान का अवलोकन करते हैं तो घटना के समय मौजूद लोगों के बारे में वह यह बयान करती है कि **''टक्कर लगने से आस–पास के लोग इकट्ठे हो गये थे, जो हमें प्राईवेट जीप में लेकर अस्पताल, बूंदी आये।''** जबकि अपने सशपथ परीक्षण में दोनों ही साक्षीगण ए.डब्ल्यू. 1 परिवादिया विमलेश व ए0डब्ल्यू0 2 शिवचरण घटना के समय मौजूद लोगों के नाम के बारे में कोई कथन नहीं करते हैं न ही चश्मदीद साक्षी के तौर पर ए0डब्ल्यू0 3 दुर्गालाल को पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने सशपथ परीक्षण में यह बयान किया है कि वह शिवचरण को जानता है। उसकी जमीन शिवचरण की जमीन के पास ही है तथा एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखना बयान करता है। प्रथमतः जहां परिवादिया विमलेश घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बारे में कोई कथन नहीं करती है, न ही अपने पर्चा बयान दिनांक 01.03.2024 में भी दुर्घटना के मौजूद होने के बारे में कोई कथन किया है, न ही अपने सशपथ परीक्षण में भी दोनों साक्षीगण ए0डब्ल्यू. 1 विमलेश व ए.डब्ल्यू. 2 शिवचरण ने उक्त चश्मदीद गवाह दुर्गालाल के घटनास्थल पर मौजूद होने के बारे में कोई कथन नहीं किया है, वहीं यह साक्षी दुर्गालाल यह बताता है कि उसकी जमीन शिवचरण की जमीन के पास है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि दोनों एक–दूसरे को अवश्य जानते होंगे जबकि दोनों ही आहत साक्षीगण विमलेश व शिवचरण ने गवाह ए0डब्ल्यू0 3 दुर्गालाल के घटनास्थल पर मौजूद होने के बारे में कोई भी कथन नहीं किया है, न ही ए0डब्ल्यू0 3 दुर्गालाल ने इस बाबत् कोई स्पष्ट कथन किया है कि वह घटना के समय क्या कर रहा था, किधर जा रहा था, कहां से आ रहा था तथा वह पैदल जा रहा था या किसी वाहन से जा रहा था। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य संदेहपूर्ण होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, न ही इस साक्षी ने इस बाबत् कोई कथन किया है कि उसने मोटरसाईकिल के नम्बर देख लिये हो और परिवादिया विमलेश व उसके पति शिवचरण को बताये हो। जबकि यह साक्षी एक अन्य विरोधाभासी यह कथन भी करता है कि घटनास्थल पर पुलिस वालों ने आकर घायलों को सम्भाला था, जबकि न तो परिवादिया विमलेश ने न ही उसके पति शिवचरण ने इस बारे में कोई कथन किया है कि पुलिस वालों ने घटनास्थल पर आकर उन्हें सम्भाला हो जबकि वे प्राईवेट व्यक्तियों द्वारा आकर स्वयं को संभालना बयान करते हैं। इस प्रकार तीनों साक्षीगण ए0डब्ल्यू0 1 विमलेश, ए0डब्ल्यू0 2 शिवचरण व ए0डब्ल्यू0 3 दुर्गालाल एक–दूसरे के विरोधाभासी कथन करते हैं। मोटरसाईकिल की पहचान किस व्यक्ति के द्वारा की गई, इस बारे में भी कोई कथन नहीं करते हैं। हालांकि साक्ष्य से परिवादिया व उसके पति शिवचरण का दुर्घटनाग्रस्त होना प्रकट होता है,

	मगर दुर्घटना में संलिप्त वाहन के बारे में या चालक की पहचान के बारे में प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रही है। इस तरह न्यायालय के विनम्र मत में परिवादिया विमलेश की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य प्रसंज्ञान हेतु पर्याप्त नहीं है। किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिये प्रथमदृष्टया साक्ष्य होना जरूरी है, मगर पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से व नतीजा अनुसंधान उचित प्रतीत होने से परिवादिया विमलेश की ओर से प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन बलहीन होने के कारण स्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। निष्कर्षतः परिवादिया विमलेश की ओर से प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन बलहीन होने अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा नतीजा एफ0आर0 उचित प्रतीत होने से एफ0आर0 अदम पता वाहन व मुलजिम चालक की पतारसी जारी रखने के निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। केस डायरी नियमानुसार लौटाई जावे।

	अभियुक्त मय अधिवक्ता मध्यान्तर पश्चात् उपस्थित। पत्रावली आज परिवादी की साक्ष्य के लिये नियत है। मध्यान्तर पश्चात् अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना–पत्र अवैध रूप से लगाये गये प्रदर्श को हटाने बाबत् पेश किया, जिसकी नकल परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को दिलाई गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये यह तर्क दिया है कि दिनांक 26.07.2016 को सभी दस्तावेजात एग्रीमेंट पर प्रदर्श लगाये जा चुके हैं, कई वर्षों के बाद प्रस्तुत किये गये एग्रीमेंट पर स्वतः प्रदर्श 11 दिनांक 07.03.2024 को लगा दिया गया जबकि इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था तथा न ही कोई अनुमति प्राप्त की गई है। परिवादी की ओर से प्रदर्श को सही किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र स्वयं पेश किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है। इस प्रकार प्रदर्श 11 लगाया जाना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। इस प्रकार अवैध रूप से लगाये गये प्रदर्श 11 को हटाने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाव प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करना चाहा एवं सीधे ही बहस करते हुये यह निवेदन किया कि अप्रार्थी के द्वारा निरन्तर प्रकरण को लम्बा करने के आशय से परिवादी से जिरह नहीं करना चाहते है। इसके पूर्व भी अभियुक्त को 300/–रूपये के कॉस्ट पर दिनांक 07.03.2024 को जिरह का अवसर दिया गया था तथा आज जिरह नहीं करने के लिये यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है तथा परिवादी की ओर से अपने परिवाद के समर्थन में शपथ–पत्र पेश करना तथा प्रसंज्ञान पूर्व प्रस्तुत शपथ–पत्र पर परिवादी की साक्ष्य प्रसंज्ञान पूर्व साक्ष्य के दौरान दर्ज कराई गई जो नियमानुसार कराई गई तथा उस दौरान प्रसंज्ञान के पूर्व सरसरी सबूत के दौरान प्रसंज्ञान स्तर पर प्रदर्श लगाने तक कोई कानूनी बाधा नहीं है तथा न्यायालय के द्वारा प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है तथा परिवादी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र पर दिनांक 07.03.2024 को परीक्षित कराये जाकर दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं तथा इकरारनामा प्रदर्श 11 भी मूल प्रदर्शित कराया गया जो पूर्व से ही परिवाद के साथ पेश किया गया था तथा दिनांक 07.03.2024 को परीक्षण के समय तथा प्रदर्श लगाये जाने के समय उसके अधिवक्ता उपस्थित थे।

	उस समय कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया गया तथा उसके काफी देरी से यह प्रार्थना–पत्र विलम्ब कारित करने के आशय से पेश किया गया है जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं होना एवं पूर्व में अभियुक्त द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना जिन्हें न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना बताते हुये, प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानूपूर्वक अवलोकन किया गया। यह प्रार्थना–पत्र अभियुक्त की ओर से परिवादी से जिरह के स्तर पर पेश किया गया है तथा अपने मूल इकरारनामा प्रदर्श 11 पर स्वतः ही प्रदर्श लगा दिया जाना तथा कोई अनुमति प्राप्त नहीं किया जाना बताया है तथा तीन–तीन शपथ–पत्र पेश किया जाना बताते हुये उक्त प्रक्रिया का दुरूपयोग करना बताया है तथा प्रदर्श डालने का कोई कानूनी आधार नहीं होने का मौखिक तर्क दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी के द्वारा दिनांक 07.03.2016 को परिवाद अपने साक्ष्य शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा मूल इकरारनामा प्रदर्श 11 जिस पर अभियुक्त की ओर से आपत्ति की गई है, वह परिवाद पेश किये जाने की दिनांक को ही पेश किया जाना दर्शित हो रहा है, जिससे उक्त तर्क बलहीन है कि स्वतः ही इकरारनामा पर प्रदर्श 11 डाल दिया गया। परिवादी के द्वारा जो पूर्व में शपथ–पत्र पेश किया गया है, उसके पश्चात् न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है तथा वर्तमान मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र जिस पर जिरह की जानी है, वह आरोप के पश्चात् तथा विचारण के समय का मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र है, जिस पर दिनांक 07.03.2024 को परिवादी को परीक्षित किया जाकर उक्त दस्तावेज परिवादी की ओर से प्रदर्शित कराया गया है। अतः इकरारनामा प्रदर्श 11 दिनांकित 07.03.2024 मुख्य परीक्षा के दौरान प्रदर्शित हुआ है तथा प्रदर्श 11 इकरारनामा परिवाद के साथ पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में प्रदर्श 11 को प्रदर्शित किये जाने पर आपत्ति बलहीन है। जहां तक दस्तावेजों को प्रदर्शित करने का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि परिवादी के द्वारा प्रसंज्ञान से पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत होने के दौरान दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं, उसके पश्चात् प्रसंज्ञान लिया गया है तथा अभियुक्त की ओर से प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी जाकर केवल प्रदर्श पर आपत्ति की है, जबकि वर्तमान में केवल साक्ष्य शपथ–पत्र पर जिरह की जानी है । यह भी गौरतलब है कि दिनांक 07.03.2024 को परिवादी की परीक्षण के दौरान अभियुक्त और उसके अधिवक्ता उपस्थित थे, उस समय कोई ऐतराज नहीं किया गया, उसके पश्चात् करीब डेढ़ साल की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है तथा दिनांक 07.03.2024 को 300/–रूपये के

	कॉस्ट पर जिरह के लिये अवसर दिया गया था तब से अब तक जिरह पूर्ण नहीं हुई है जिससे जाहिर है कि अभियुक्त के द्वारा जिरह नहीं किये जाने का आचरण दर्शित होता है तथा पूर्वोक्त विवेचन के अनुसा प्रार्थना–पत्र का कोई युक्तियुक्त न्यायोचित आधार प्रकट नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। निष्कर्षतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अवैध रूप से लगाये गये प्रदर्श को हटाने बाबत् अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इसी स्तर पर विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने एक प्रार्थना–पत्र जिरह के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये जाने बाबत पेश किया कि परिवादी ने दिनांक 10.03.2016, 22.06.2016 व 12.09.2022 के शपथ–पत्रों में से किस साक्ष्य शपथ पत्रपर साक्ष्य दर्ज करानी चाही है तथा शेष शपथ पत्रों को रेकॉर्ड से हटाया जावे। नकल उभय पक्ष को दिलाई गई जिन्होने जबाव पेश नहीं कर सीधे बहस करना जाहिर किया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गयी। अधिवक्ता मुलजिम ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है जबकि परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 12.09.2022 के साक्ष्य शपथ–पत्र पर अपनी साक्ष्य को परीक्षित करना बताया है तथा पूर्व दोनों शपथ पत्र दिनांक 10.03.2016, 22.06.2016 क्रमशः परिवाद के साथ साक्ष्य का शपथ–पत्र तथा प्रसंज्ञान पूर्व शपथ पत्र दिनांक 22.06.2016 होना बताया है। सुना गया। परिवादी की मुख्य परीक्ष विगत पेशी पर ही बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्त की उपस्थिति में दर्ज की गयी है तथा परिवादी के अधिवक्ता ने 12.09.2022 के साक्ष्य शपथ पत्र को मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र बताया है। अतः इस बाबत पृथक से निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र उक्तानुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। बयान साक्ष्य परिवादी पी0डब्ल्यू0–1 रामलाल से जिरह की गयी जो न्यायालय समय समाप्त हो जाने से अधूरी रहने से साक्षी की जिरह को डेफर किया गया। साक्षी को पाबंद किया गया। इसी स्तर पर अधिवक्ता अभियुक्त ने पुनः एक प्रार्थना–पत्र धारा 200, 203, 204, 251, 245(2) जा0फौ0 व धारा 142 एन0आई0एक्ट के तहत परिवाद को खारिज किये जाने के संबंध में पेश किया। नकल उभय पक्ष को दिलाई गई जिन्होंने जबाव हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते जिरह साक्ष्य परिवादी व जबाव प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 03.10.2025 को पेश हो।

	प्रार्थीया व अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र के स्तर पर नियत है। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने जवाब पेश नहीं करना चाहते हुए सीधे बहस करना चाहा। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। अप्रार्थी मुकेश की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने बाबत् पेश किया कि दिनांक 01.04.2024 को अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अप्रार्थी भारतीय सेना में सैनिक के पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 01.04.2024 को वह अपने कार्यस्थल भटिण्डा (पंजाब) में स्थापित था तथा पुलिस थाना हिण्डोली से जरिये दूरभाष सूचना मिलने पर उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया था तथा जिस पर दिनांक 29.06.2024 से 28.07.2024 तक का अवकाश भी स्वीकृत किया गया, जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहना बताते हुए अप्रार्थी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है। जबकि इसका विरोध करते हुए प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी मुकेश को कार्यवाही की सूचना होने के बाद भी जानबूझकर सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होना बताया तथा एकपक्षीय कार्यवाही को उचित बताया तथा अप्रार्थी की ओर से काफी देर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा देरी का कोई न्यायोचित कारण नहीं बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 जाब्ता फौजदारी वास्ते प्राप्त किये जाने भरण–पोषण अपने तथा अपनी पुत्री हेतु दिनांक 26.02.2024 को पेश किया गया है, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा दिनांक 01.04.2024 को अप्रार्थी को सूचना के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस संबंध में नोटिस दिनांक 01.04.2024 की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने से सकुनत पर जाने से अमसमर्थ रहने पर जरिये मोबाईल सूचना दिया जाना बताया गया है। सूचना को माना जाकर प्रार्थी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस बारे में अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भारतीय सेना में सैनिक के पद पर भटिण्डा (पंजाब) में कार्यरत होना बताया है, जिसका कोई विरोध प्रार्थीया की ओर से नहीं किया गया है कि वो सैनिक के रूप में भटिण्डा (पंजाब) में कार्यरत नहीं हो तथा इसी संबंध में अवकाश प्रमाण पत्र दिनांक 29.06.2024 से 28.07.2024 की प्रति भी पेश की है, जिससे जाहिर है कि दिनांक 29.06.2024 से 28.07.2024 की छुट्टियां

	अप्रार्थी को मंजूर की गईं थी तथा दिनांक 19.07.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था मगर अप्रार्थी ने दिनांक 29.06.2024 से अवकाश मिलना बताया है जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2024 को पेश किया गया, जो कि विलम्ब से पेश किया गया है मगर न्यायालय के विनम्र मत में अप्रार्थी के कार्य की परिस्थितियों, मामले के तथ्यों व सूचना की प्रकृति को देखते हुए अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना तथा विलम्ब हेतु 500/– रूपये कोस्ट दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी मुकेश के विरुद्ध दिनांक 01.04.2024 के आदेश के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को 500/– रूपये कोस्ट राशि प्रार्थीया को अदा करने की सूरत में निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी मुकेश को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। प्रकरण भरण–पोषण का है, अप्रार्थी के अधिवक्ता को हिदायत दी जाती है कि वह जवाब प्रार्थना पत्र तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Criminal Appeal No. 730 of 2020 (Arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of 2018) Decided On: 04.11.2020 Rajnesh Vs. Neha and Ors. की पालना में अपने आय बाबत् शपथ पत्र पेश करे। पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र दिनांक ..... को पेश हो। **(जाकिर हुसैन)** **न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली,** **जिला बून्दी**